प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0 संख्या 237/2023 दिनांक 31.08.2023
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) धारा–7ए, 12
(2) अधिनियम...धाराऐं ....
(3) अधिनियम...धाराऐं...
(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं...
3. (क) घटना का दिन :–बुधवार दिनांक – 05.04.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –दिनांक 04.04.2023 समय 08.30 पी0एम0
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 629 समय 01:20 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित या मौखिक)...... **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – 94 किलोमीटर, बीट संख्या...
जुरामदेही सं...
(ख) पता :– खानपुर
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.........................जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :–श्री मोहन लाल तेली
(ख) पिता/पति का नाम :–भंवर लाल तेली
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– उम्र 28 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि...............................जारी करने का स्थान.......
(च) व्यवसाय –............
(छ) पता :– ग्राम मेजा पानी की टंकी के पास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1.श्री देवेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामखिलारी मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम खरखड़ा पोस्ट थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल कानि0 1323 थाना खानपुर जिला झालावाड।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर मालव उम्र 40 साल जाति मालव निवासी–मकान न0 120 सुनारो का मोहल्ला राधाकृष्ण मंदिर के पीछे भाण्डाहेड़ा थाना कैथून जिला कोटा (प्राइवेट व्यक्ति)।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..........
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः–
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–
महोदय

हालात इस प्रकार है कि **दिनांक 04.04.2023 समय 08:30 पी.एम. पर** श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर, वहां पूर्व से बैठे हुऐ परिवादी श्री मोहन लाल तेली पुत्र श्री भवंर लाल तेली जाति तेली उम्र 28 साल निवासी–ग्राम मेजा, पानी की टंकी के पास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा एवं सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर से परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक हस्तलिखित रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहन लाल तेली द्वारा पेश शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जो इस आशय की है कि " दिनांक 28 मार्च 2023 को झालावाड जिले में मण्डावर थाने में एक ट्रक गांजा पकडा था। ट्रक को आरीफ रहमान चला रहा था तथा खलासी वाजिद अली उर्फ टिंकु निवासी इमामवाडा जिला झालावाड था, इन दोनों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। ट्रक के चालक ने पप्पू अली व मेरे पिता भंवर लाल तेली को कार से ट्रक के आगे एस्कॉर्ट करते हुये चलाना बताया था। मेरे पिता भवंर लाल तेली एवं पप्पू अली को भी पुलिस ने उसी दिन पकड लिया था। इस मुकदमें की तफ्तीश थानाधिकारी खानपुर द्वारा की जा रही है, मेरे मोबाईल नम्बर 8209199965 पर दिनांक 03.04.2023 को समय 11.33 ए.एम.पर मोबाईल नम्बर 8209919243 से कॉल आया, जिसने थाना खानपुर से बोलना बताया व मेरे पिताजी से

बात करवाई तथा इसके बाद मुझे वाट्सएप कॉल करने के लिये बोला, जिस पर मैने 8209919243 पर वाट्सएप कॉल किया तो उक्त नम्बर के व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कब्जे से कागजों में गांजे की बरामदगी नहीं बताने तथा मेरे पिताजी के लिये कमजोर केस बनाने व पन्द्रह दिन में ही मेरे पिताजी की जमानत होने का आश्वासन दिया तथा मेरे पिताजी व पप्पू अली दोनों के लिये कुल 7 लाख रूपये लेकर खानपुर थाने में बुलाया। मै उनको रिश्वत के 7 लाख रूपये नहीं देना चाहता हूं व उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं।" इत्यादि। परिवादी ने बताया कि मैंने आरोपी से कल सुबह थाना खानपुर पर आकर मिलने के लिये बोला है। मैंने जब इस बारे में वाटस एप पर बाते की थी तब मेरी रिकार्डिग लोकेश (सहपरिवादी) ने बना ली थी जिस पर सहपरिवादी लोकेश ने रिकार्डिंग दिखाई जिस पर उक्त रिकार्डिंग सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। मजीद दरियाफ्त व शिकायती प्रार्थना पत्र परिवादी के स्वयं के हस्तलिखित होना, मामला रिश्वत मांग का होने से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना तय किया गया। **दिनांक 04.04.2023 समय 9.30 पी.एम.** पर परिवादी द्वारा आरोपी से कल सुबह थाने पर आकर मिलने की कहने के कारण परिवादी श्री मोहन लाल एवं सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर को दिनांक 05.04.2023 सुबह 7.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब कर परिवादी एवं सहपरिवादी को कार्यालय से रूखसत किया गया। कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री बृजराज सिंह कानि.159 को सुबह 07.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। **दिनांक 05.04.2023 समय 07:25 ए.एम.** पर परिवादी श्री मोहन लाल तेली मय सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर कार्यालय हाजा उपस्थित आये। **दिनांक 05.04.2023 समय 07:30 ए.एम.** को कार्यालय हाजा के मालखाने मे रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी एवं सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी को सुपूर्द किया गया। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री मोहन लाल एवं सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर को आरोपी से वार्ता करने पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड रवाना किया गया एवं परिवादी की निगरानी हेतु श्री बृजराज सिंह कानि. 159 को मुनासिब हिदायत कर परिवादी एवं सहपरिवादी के हमराह परिवादी की गाडी से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। **दिनांक 05.04.2023 समय 02:30 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली, सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर एवं श्री बृजराज सिंह कानि.159 कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि आपके कार्यालय से रवाना होकर मै एवं श्री लोकेश कुमार राठौर आपके कार्यालय के श्री बृजराज सिंह जी के साथ सांगोद के रास्ते खानपुर जा रहे थे, जब हम सांगोद के पास पहुचे तो मेरे मोबाईल नम्बर 8209199965 पर आरोपी के मोबाईल नम्बर 8209919243 से वाट्सएप कॉल आया, उसने मुझसे पूछा कि कहा तक आ गये हो मैने उससे कहा कि मैं सांगोद पंहुचने वाला हूं । इस पर आरोपी ने कहा कि मै अभी थोडी देर में सांगोद ही आ रहा हूं आप सांगोद में एंट्री करते समय एच पी का पट्रोल पम्प है वही रूक जाओ। इस पर हम सांगोद में एच पी के पट्रोल पम्प के पास ही रूक गये, तथा आरोपी के आने का इंतजार करने लेगे। श्री बृजराज सिंह जी गाडी से उतर कर थोडी दूर खडे हो गये थें। करीब 30 मिनिट बाद आरोपी अपनी गाडी से हमारे पास आया। मैने आरोपी के आने से पहले ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर लिया था। आरोपी ने मुझे एवं मेरे भाई श्री लोकेश कुमार राठौर को अपनी गाडी में बिठा लिया। आरोपी की गाडी में ही हमारे केस के संबंध में एवं मेरे पिता जी के बारे में बातें होने लगी। आरोपी ने पैसे लाने के बारे में पूछा तो श्री लोकेश कुमार राठौर ने उससे कहा कि अभी पैसो की व्यवस्था नहीं हुई है श्योपुर जाकर मेरे साडू से लेकर आना पडेगा। श्री लोकेश कुमार राठौर ने आरोपी से पूछा कि कितने पैसे लेकर आने है तो आरोपी ने कहा कि सौदा साडे छः लाख में तय हुआ है तीन पच्चीस आपके एवं तीन पच्चीस पप्पू के है। पप्पू का बेटा मुझे कल तीन लाख पच्चीस हजार रूपये दे गया है, आपके बाकि है। मैंने उनसे कम करने के लिये कहा तो उन्होने कहा कि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है धन्धा तो करना है, आप पहले बता दो कि हम इस गाडी में है तो हम निकाल देगें और यदि कोई बडा माल आ रहा है इसकी जानकारी मुझे दे देना मै आपको दस परसेन्ट दिला दूंगा इन पैसो मे कम कुछ नहीं कर सकता, पैसा एसपी मैडम तक जाएगा उनको इसके बारे में पूरी जानकारी है कि कितने पैसे आ रहे है मै कुछ नहीं कर सकता, मै अपनी जेब से थोडी ही दूंगा। मैने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास पैसो की व्यवस्था नहीं है लोकेश कुमार जी को इनके साडू जी ने दो लाख रूपये देने की बात कही है और तीस चालीस हजार मेरे एकाउन्ट में पडे है, ढाई तक की व्यवस्था हो सकती है, अभी तो इतने ही होंगे बाकि बाद में दे दूंगा। इस पर आरोपी ने कहा कि ये बात मान सकता हूं। मैने कहा ठीक है हम पैसे लेकर आते है। आरोपी

ने कहा बारां आने पर मुझे कॉल कर लेना मै आपको रास्ते में ही मिल जाउगां पैसे तो मुझे ही देने पडेगें थाने पर आप पैसे नहीं दे सकते। लोकेश ने आरोपी से उसका नाम एवं पोस्टिंग के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र बताया तथा थाना खानपुर से नहीं होकर दूसरी जगह से होना बताया। उसके बाद हम अपनी गाडी में बैठ गये ओर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। उसके बाद मै एवं मेरा भाई लोकेश कुमार व आपके कार्यालय के श्री बृजराज सिंह के साथ वहां से रवाना हो आपके कार्यालय में उपस्थित आये है। परिवादी द्वारा पेश डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। श्री बृजराज सिंह कानि. से पूछा गया तो कानि. ने परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी ने बताया कि जिस प्रकार से आरोपी बात कर रहा था मुझे शंका है कि वह पुलिस में नहीं है, वह प्राईवेट व्यक्ति है और दलाली का काम करता है। वह पैसा किसके लिये मांग रहा है ये उसने नहीं बताया। इसलिये मैं थाने पर जाकर दुबारा जानकारी करना चाहता हूं। समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा को निवेदन किये गये। **दिनांक 05.04.2023 समय 03:50 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै थाने पर जाकर दुबारा जानकारी करना चाहता हूं। इसलिए परिवादी श्री मोहन लाल तेली को पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू व बन्द करने की विधि समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्दकर, परिवादी एवं सहपरिवादी को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु एवं श्री बृजराज सिंह कानि.159 को वास्ते निगरानी मुनासिब हिदायत कर परिवादी एवं सहपरिवादी के हमराह पुलिस थाना खानपुर रवाना किया गया। **दिनांक 05.04.2023 समय 04:15 पी. एम.** पर ट्रेप कार्यवाही की संभावना को देखते हुए श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 को कार्यालय के पत्रांक 881 दिनांक 05.04.2023 अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल कोटा के नाम एक तहरीर दी जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 06.04.2023 को समय 08.15 ए.एम पर कार्यालय आने हेतु पाबन्द करने के लिये कार्यालय अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल कोटा रवाना किया गया। **दिनांक 05.04.2023 समय 05:20 पी.एम. पर** श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 पूर्व का रवानाशुदा अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल कोटा से गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व.श्री राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ जाति कायस्थ उम्र 39 साल निवासी ए–54 सुभाष कॉलोनी खेडली फाटक कोटा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता एचटीएम डी डी कोटा मोबाईल नम्बर 99284–96508 एवं श्री रोमित शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 28 साल निवासी 91 दुर्गानगर कुन्हाडी कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता प.व.स ग्रामीण कोटा मोबाईल 70145–11098 को पाबन्द कर गवाह उपलब्ध करवाने बाबत् कार्यालय अधीक्षण अभियंता(कोटा वृत) जयपुर डिस्कॉम, कोटा का पत्रांक 29 दिनांक 05.04.2023 लेकर उपस्थित कार्यालय हाजा आया। उक्त पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। **दिनांक 05.04.2023 समय 08:05 पी.एम. पर** सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर आया, सहपरिवादी ने बताया कि हम आपके कार्यालय से रवाना हो पुलिस थाना खानपुर के पास पंहुचे, मोहन लाल ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु किया और हम दोनों पुलिस थाना खानपुर के अन्दर चले गये, श्री बृजराज जी थाने के बाहर ही रूक गये थे, सीआई साहब हमे थाना परिसर में बाहर ही मिल गये थे, उनसे हमने चाचाजी श्री भंवर लाल से मिलने के बारे में कहा तो उन्होने थाने के कर्मचारी श्री देवेन्द्र जी को बुलाकर हमें भवर लाल जी से मिलवाने के लिये कहा, हम भंवर लाल जी से मिले। मैने हमारे केस के संबंध में एवं आरोपी महेन्द्र द्वारा रिश्वत राशि मांगने एवं उसके पुलिस वाला नहीं लगने के बारे में श्री देवेन्द्र जी से पूछा तो देवेन्द्र ने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ भी बात नहीं करूंगा, जो बात करनी है वो आप महेन्द्र से ही करो। इस पर हम दोनो पुलिस थाना से बाहर गाडी के पास जहा बृजराज जी मौजुद थे आये और फिर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित लेकर आने की हिदायत की। **दिनांक 05.04.2023 समय 09:35 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली मय सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर एवं श्री बृजराज सिंह कानि. के कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मेरे एवं सहपरिवादी लोकेश कुमार की पुलिस थाना खानपुर के कर्मचारी श्री देवेन्द्र के मध्य हुई वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू कर सुना गया तो सहपरिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी महेन्द्र ने मुझे रिश्वत राशि लेकर आज बुलाया था लेकिन आज मैं रिश्वत राशि लेकर उसके पास नहीं गया इसलिये कल रिश्वत लेकर मुझे उसके पास जाना है तथा मुझे पैसो की व्यवस्था भी करनी है। इसलिये परिवादी एवं सहपरिवादी को कल दिनांक 06.04.2023 को सुबह 8.00 बजे कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। **दिनांक 06.04.**

2023 समय 08:00 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहन लाल तेली कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री लोकेश राठौर को अचानक काम आ जाने के कारण माण्डल जाना पडा इसलिये मैं अकेला ही आपके कार्यालय आया हूं। परिवादी ने बताया कि कल जब श्री लोकेश कुमार राठौर आपसे मोबाईल पर वार्ता कर रहा था तो उसके दूसरे फोन से पुलिस थाना खानपुर के श्री देवेन्द्र जी कानिस्टेबल को गलती से फोन लग गया था जिसकी जानकारी मुझे एवं सहपरिवादी को नहीं रही, 10–15 मिनट फोन चलने के बाद देवेन्द्र जी ने ही फोन काट दिया। मुझे लगता है देवेन्द्र ने सभी बाते सुन ली है। फोन लगने की जानकारी मुझे सुबह श्री लोकेश कुमार राठौर के बताने पर हुई है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से आरोपी महेन्द्र को कॉल करवाया तो आरोपी का कॉल बन्द आया। इसके बाद पुलिस थाना खानपुर के कर्मचारी देवेन्द्र को कॉल करवाया तो उसका फोन भी बन्द आया। उक्त समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा को निवेदन किये गये। मोबाईल फोन के चालू रहने से ट्रेप की योजना की जानकारी आरोपी कानि देवेन्द्र को होने से उसने अपने साथी दलाल महेन्द्र का मोबाईल भी बन्द करवा दिया और अपना मोबाईल भी स्वीच ऑफ कर लिया हैं। जिससे ट्रेप की योजना की जानकारी आरोपी एवं उसके दलाल को होने से ट्रेप होने की कोई संभावना हेतु मोबाईल फोन के ऑन होने का इन्तजार किया गया। **दिनांक 06.04.2023 समय 08:25 ए.एम. पर** स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक एवं श्री रोमित शर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। स्वतंत्र गवाहान् का परिचय परिवादी श्री मोहन लाल तेली से करवाकर कार्यवाही के संबंध में अवगत करवाया। दोनो स्वतंत्र गवाहान् से कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान् ने अपनी मोखिक स्वीकृति दी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान् से परिवादी द्वारा एसीबी को दिये गये प्रार्थना पत्र को पढवाकर हस्ताक्षर करवाये। **दिनांक 06.04.2023 समय 08.35 ए.एम. पर** डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में से निकलवाकर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड दिनांक 05.04.2023 को परिवादी श्री मोहन लाल, सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर एवं आरोपी महेन्द्र के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बृजराज सिहं कानि. 159 के द्वारा लिवाया जाकर, लेपटॉप का स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष मेरे निर्देशानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम नियमानुसार तैयार की गई। जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। **दिनांक 06.04.2023 समय 12.15 पी.एम. पर** दिनांक 05.04.2023 को परिवादी श्री मोहन लाल, सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर एवं देवेन्द्र कानि0 थाना खानपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बृजराज सिहं कानि. 159 के द्वारा लिवाया जाकर, लेपटॉप का स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष मेरे निर्देशानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय नियमानुसार तैयार की गई। जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। **दिनांक 06.04.2023 समय –03.45 पी. एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने आपके कहे अनुसार आरोपी महेन्द्र एवं देवेन्द्र दोनो का मोबाईल काफी बार लगाया परन्तु उन दोनो का ही फोन अभी भी बन्द आ रहा है। मुझे लगता है कि कल फोन चालू रह जाने के कारण देवेन्द्र ने ट्रेप संबंधी वार्ताएं सुन ली है, मुझे लगता है कि उन्हे मुझ पर शंक हो गया है, वो मुझसे रिश्वत राशि अब ग्रहण करेंगे या नही इस बारें में मैं सही से नही बता पांउगा। मेरे पिताजी अभी उनके पास बन्द हवालात हैं इस कारण से मुझे फोन दुबारा भी आ सकता हैं। मुझे कोई कॉल आया तो मैं आपको सूचित कर दुंगा। जिस पर समस्त हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। **दिनांक–06.04.2023 समय 05.00 पी. एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली को मोबाईल से आरोपियान से सम्पर्क होने पर सुचना देने की हिदायत करके एवं स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक एवं श्री रोमित शर्मा कनिष्ठ सहायक को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया। **दिनांक 15.04.2023 समय 11.21 ए.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली को मोबाईल से सम्पर्क करके आरोपी के सम्पर्क के बारे में पुछा गया जिस पर परिवादी ने खानपुर थाने से कोई फोन कॉल नही आना बताया। परिवादी ने अपने परिवार में शादी होना बताया हैं परिवादी ने शादी के बाद दर्ज शिकायत में मिलने और मामले से जुडे साक्ष्य पेश करने की बात कही। **दिनांक–25.04.2023 समय 12.55 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली को मोबाईल से सम्पर्क करके आरोपी देवेन्द्र के सम्पर्क के बारे में पुछा गया जिस पर परिवादी ने खानपुर थाने से कोई फोन कॉल नही आना बताया हैं। परिवादी ने अपने परिवार में शादी होना बताया हैं परिवादी ने शादी के बाद दर्ज शिकायत में कोटा आकर मिलने और मामले से जुडे साक्ष्य पेश करने की बात कही हैं। **दिनांक–15.05.2023 समय 11.21 ए.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली को मोबाईल से सम्पर्क करके आरोपी देवेन्द्र के सम्पर्क के बारे में पुछा गया जिस पर परिवादी ने खानपुर थाने से कोई फोन कॉल नही आना बताया हैं। परिवादी ने अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने से

कोटा नही आ पाने की जानकारी दी। **दिनांक–30.05.2023 समय –05.05 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली का मोबाईल पिछले दस दिनो से बन्द आने से सहपरिवादी लोकेश से जरिये मोबाईल सम्पर्क करके परिवादी मोहनलाल के बारे में पुछने पर बताया कि वह कही बाहर गया हुआ हैं तथा सहपरिवादी लोकेश ने बताया कि मैं एवं मोहनलाल दिनांक 01.06.23 को कोटा आ रहे हैं। **दिनांक–01.06.2023 समय –01.50 पी.एम. पर** परिवादी मोहन लाल तेली ,सहपरिवादी लोकेश तेली एवं स्वतंत्र गवाहान् श्री संदीप कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक एवं श्री रोमित शर्मा कनिष्ठ सहायक जरिये मोबाईल सम्पर्क पर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी मोहनलाल ने अपने मोबाईल वार्ता के वाटसएप स्क्रीनशॉट एवं वाटसएप वार्ता समयावधि के स्क्रीनशॉट पेश किये, जिन्हे पत्रावली में शामिल किया गया। परिवादी ने कार्यवाही नही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। **दिनांक–01.06.2023 समय–02.50 पी.एम. पर** सहपरिवादी लोकेश तेली ने अपने द्वारा बनाया गया वीडियों मय 65 बी प्रमाण पत्र के पेश किया हैं जिसे कार्यालय के कम्प्यूटर में लिया गया। वीडियों रिकार्डिग को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेन्द्र सिहं कानि. 282 के द्वारा लिवाया जाकर, लेपटॉप का स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष मेरे निर्देशानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट वाटस एप वार्ता नियमानुसार तैयार की गई। जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। **दिनांक–01.06.2023 समय 04.20 पी.एम. पर** डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड दिनांक 05.04.2023 को परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी महेन्द्र के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.04.2023 परिवादी, सहपरिवादी एवं देवेन्द्र के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, वाटस एप कॉल रिकार्डिग वीडियों को श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 से लेपटॉप में कॉपी करवाकर पांच पेनड्राईव में डब करवाकर पांच पेनड्राईव कम्पनी KDM 16GB तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मैमारी कार्ड Sandisk ultra 32 GB को माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव आरोपी महेन्द्र के लिये, एक पेनड्राईव देवेन्द्र कानि0 के लिये एवं एक पेनड्राईव विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में नमूना आवाज कार्यवाही हेतु पृथक पृथक पेनड्राईव डाईव को कवर में रखकर कवर सहित कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। सील्डशुदा मैमोरी कार्ड एवं उक्त चारों पेनड्राईवों को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये एक लिफाफे में खुला रखवाया गया। फर्द डबिगं पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। **दिनांक–01.06.2023 समय –05.25 पी.एम. पर** परिवादी श्री मोहन लाल तेली, सहपरिवादी लोकेश तेली व स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक एवं श्री रोमित शर्मा कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 28 मार्च 2023 को पुलिस द्वारा झालावाड जिले के मण्डावर थाने में एक ट्रक गांजा पकडा गया था, ट्रक का चालक आरीफ रहमान तथा खलासी वाजिद अली उर्फ टिंकु निवासी इमामवाडा जिला झालावाड था, जिनको पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया था। ट्रक के चालक ने पुलिस को पप्पू अली व परिवादी के पिता भंवर लाल तेली को कार से ट्रक के आगे एस्कॉर्ट करते हुये चलाना बताया था, जिस पर पुलिस द्वारा पप्पु अली व परिवादी के पिता भंवरलाल तेली को भी दिनांक 28.03.2023 को ही गिरफ्तार किया था। उक्त मुकदमें की तफ्तीश थानाधिकारी खानपुर द्वारा की जा रही है, परिवादी के मोबाईल नम्बर 8209199965 पर दिनांक 03.04.2023 को मोबाईल नम्बर 8209919243 से वाट्सएप कॉल करने के लिये कहा एवं परिवादी ने मोबाईल नम्बर 8209919243 पर वाट्सएप कॉल किया, तो उक्त नम्बर के व्यक्ति ने परिवादी के पिताजी के कब्जे से कागजों में गांजे की बरामदगी नहीं बताने तथा परिवादी के पिताजी का कमजोर केस बनाने व पन्द्रह दिन में जमानत होने का आश्वासन देकर परिवादी के पिताजी व पप्पू अली दोनों के लिये कुल 7 लाख रूपये लेकर खानपुर थाने में बुलाया। दिनांक 05.04.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी महेन्द्र द्वारा परिवादी मोहन लाल एवं सहपरिवादी श्री लोकेश कुमार राठौर से परिवादी के पिता श्री भवंर लाल के केस संबंध में वार्ता कर तीन लाख पच्चीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 05.04.2023 को परिवादी एवं सहपरिवादी से पुलिस थाना खानपुर के पुलिसकर्मी श्री देवेन्द्र कानि0 द्वारा केस के संबंध में स्वयं बात से मना करते हुये दलाल धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र के मार्फत ही बात करने को कहा गया। जब रिश्वत लेन देन की वार्ता हो रही थी उस समय परिवादी के पिता भंवरलाल तेली खानपुर थाने में बन्द हवालात थे जिनसे मोबाईल से प्राइवेट दलाल ने वार्ता करवाई। सहपरिवादी लोकेश के द्वारा बाद सत्यापन वार्ता कोटा आते हुये भूलवंश पुलिसकर्मी देवेन्द्र कानि0 थाना खानपुर को फोन लग गया जिससे आरोपी देवेन्द्र द्वारा सारी बाते सुन ली गई थी और फोन भी पुलिसकर्मी देवेन्द्र कानि0 के द्वारा ही काटा गया था। दिनांक 06.04.2023 को परिवादी ने सहपरिवादी के द्वारा सुबह ही फोन कॉल लगने की बात बताई गई जिसकी जानकारी परिवादी

मोहनलाल के द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को देने पर परिवादी से फोन करवाया तो पुलिसकर्मी देवेन्द्र एवं दलाल महेन्द्र दोनो का ही फोन स्वीच ऑफ होना सामने आया। इस प्रकार आरोपी द्वारा मोबाइल पर परिवादी व सहपरिवादी की आपस की बाते सुन लेने के कारण शक हो जाने से ट्रेप कार्यवाही का आयोजन नही किया जा सका। इस प्रकार आरोपी श्री देवेन्द्र कुमार मीणा कानि0 1323 थाना खानपुर द्वारा बार बार परिवादी से आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र (प्राइवेट व्यक्ति) से बातचीत करने व आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने के तथ्य सामने आये है। इसलिए आरोपीगण (1) देवेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामखिलारी मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम खरखड़ा पोस्ट थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल कानि0 1323 थाना खानपुर जिला झालावाड व (2) श्री धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर मालव उम्र 40 साल जाति मालव निवासी मकान न0 120 सुनारो का मोहल्ला भाण्डाहेड़ा थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण (प्राइवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है।

अतः आरोपीगण (1) देवेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामखिलारी मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम खरखड़ा पोस्ट थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल कानि0 1323 थाना खानपुर जिला झालावाड।व (2) श्री धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर मालव उम्र 40 साल जाति मालव निवासी मकान न0 120 सुनारो का मोहल्ला भाण्डाहेड़ा थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्र0नि0 ब्यूरों राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(चन्द्र कँवर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे,कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें., कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण (1) श्री देवेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामखिलारी मीणा, निवासी ग्राम खरखड़ा पोस्ट थाना राजाजी तहसील राजगढ़ जिला अलवर, हाल कानि. नं. 1323, थाना खानपुर जिला झालावाड़ (2) श्री धर्मेन्द्र कुमार मालव उर्फ महेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर मालव निवासी म.नं. 120, सुनारों का मोहल्ला, राधाकृष्ण मंदिर के पीछे, भाण्डाहेड़ा थाना कैथून जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 237/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2702–05 दिनांक 31.08.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे कोटा।

31.8.23
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।